छत्तीसगढ़ वन अधिकार क्रियान्वयन में देश में अग्रणी

चर्चा में क्यों?

26 दिसंबर, 2022 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य देश में वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में अग्रणी राज्य है।

प्रमुख बिंदु

- जानकारी के अनुसार राज्य में विगत चार वर्षों में 54 हज़ार 518 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र वितरित किये गए, जिसका कुल रकबा 30 हज़ार 46 हेक्टेयर है। इसी प्रकार सामुदायिक वन अधिकार के 23 हज़ार 982 वन अधिकार-पत्र वितरित किये गए हैं, जिसका कुल रकबा 11 लाख 77 हज़ार 212 हेक्टेयर है।
- देश में नगरीय क्षेत्र में वन अधिकारों की मान्यता दिए जाने में छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है। अब तक 266 व्यक्तिगत वन अधिकार-पत्र, 7 सामुदायिक वन अधिकार-पत्र और 4 सामुदायिक वन संसाधन अधिकार-पत्र राज्य के नगरीय क्षेत्रों में प्रदाय किये गए हैं।
- राज्य शासन द्वारा सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों के क्रियान्वयन में भी पहल की गई है। अब तक ज़िलों में 3 हज़ार 845 सामुदायिक वन संसाधन अधिकार मान्य किये गए हैं। इसके अंतर्गत 16 लाख 60 हज़ार 301 हेक्टेयर भूमि के संरक्षण, प्रबंधन का अधिकार ग्राम सभाओं को प्रदाय किया गया है।
- राज्य शासन द्वारा स्थानीय वन निवासी समुदायों के विभिन्न वनाधिकारों को मान्यता दिये जाने की दिशा में प्रतिबद्धतापूर्वक सतत् प्रयास किये जा रहे हैं, ताकि वन अधिकार अधिनियम, 2006 में वर्णित विभिन्न प्रकार के वनाधिकार उन्हें प्राप्त हो सके।
- अधिनियम के अनुसार वनभूमि पर अनुसूचित जाति और अन्य परंपरागत वन निवासी आवेदक द्वारा कब्ज़े का दावा करने के लिये 13 दिसंबर, 2005 कट ऑफ डेट निर्धारित है। अन्य परंपरागत वन निवासी आवेदक के मामले में कट ऑफ डेट पूर्व से ही तीन पीढ़ियों (75 वर्ष) से संबंधित ग्राम, वन भूमि में निवासरत होना आवश्यक है।
- राज्य शासन की पहल से स्थानीय वन निवासी समुदायों के लिये संबंधित ग्राम सभाओं को सामुदायिक वन संसाधन अधिकार को मान्यता दी जा रही है। राज्य के शहरी क्षेत्रों में विभिन्न वन अधिकार पत्रों का वितरण किया जा रहा है।
- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर राज्य में विभिन्न कारणों से निरस्त वन अधिकार के दावों पर पुनर्विचार की कार्यवाही की जा रही है। वन अधिकार अधिनियम के तहत वितरित भूमि का रिकॉर्ड समय-समय पर दुरुस्त करने की कार्यवाही की जा रही है।
- वन अधिकार प्राप्त लाभार्थी को पोस्ट क्लेम सपोर्ट के रूप में उनकी कृषि को विकसित करने के साथ ही आजीविका के विभिन्न उपायों, जैसे- कुकून, टसरक्राप्स, लाख उत्पादन इत्यादि के माध्यम से लाभान्वित करने की दिशा में कार्य हो रहा है।
- छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से कमज़ोर जनजातियों को पर्यावास के अधिकार प्रदाय करने की कार्यवाही धमतरी ज़िले में शुरू की गई है। सामुदायिक वन संसाधन अधिकार मान्य करने की शुरुआत धमतरी ज़िले के जबर्रा गाँव से की गई। ग्राम सभा जबर्रा को 5352 हेक्टेयर वनभूमि पर सामुदायिक वन संसाधन अधिकार की मान्यता दी गई, जो देश में किसी एक गाँव को मान्य किये जाने वाला सर्वाधिक क्षेत्र है। इसी प्रकार कांकेर ज़िले के खैरखेड़ा ग्राम में 1861 हेक्टेयर वन भूमि पर सामुदायिक वन संसाधन अधिकार की मान्यता दी गई है।
- वन अधिकार कानून के तहत प्रबंधन का बेहतर क्रियान्वयन करते हुए सामुदायिक वन संसाधन के तहत विभिन्न गतिविधियाँ की जा रही हैं। जंगल के प्रबंधन के साथ-साथ बाँस का शेड एवं मचान बनाकर देशी बकरीपालन, मुर्गीपालन, खरगोशपालन, सुअरपालन, मछलीपालन आदि कार्य किया जा रहा है। साथ ही खरीफ फसल जैविक जिमीकंद, हल्दी बीज का उपचार कर तकनीकी विधि इंटरक्रॉपिंग से बुआई की जा रही है और बीज बैंक की स्थापना भी की गई है। इसके उपरांत वन संसाधन के संरक्षण, प्रबंधन पर विशेष बल दिया जा रहा है।
- वन अधिकार प्राप्त हितग्राहियों को आजीविका के लिये मत्स्य एवं जलाशयों के अन्य उत्पाद, चारागाह के उपयोग के लिये वन अधिकार दिये जाने हेतु विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। शासकीय योजनाओं के अभिसरण से व्यक्तिगत वन अधिकार-पत्र धारकों को दावा पश्चात् सहायता यथा भूमि समतलीकरण, मेड़-बंधान, खाद-बीज, सिंचाई उपकरण संबंधी सहायता भी प्रदान की जा रही है। साथ ही इन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) एवं किसान सम्मान निधि योजना से भी लाभान्वित किया जा रहा है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/chhattisgarh-leading-in-the-implementation-of-forest-rights-act-in-the-country